



(स्पीड पोस्ट)

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद

परिवेश भवन, एन.एस-बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0-सदाकत आश्रम, पटना-800010

पत्रांक:

पटना, दिनांक:

प्रेषक,

एस0 चन्द्रशेखर, भा0व0से0

सदस्य-सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्ट्रोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना-800023.

विषय: मेसर्स मारुती ट्रेडिंग कंपनी, प्रस्तावक: श्री विनोद कुमार, पता: वार्ड नं0-06, गढ़ के पीछे, रावत्सर, जिला-हनुमानगढ़ (राजस्थान) द्वारा गया फल्गू नदी बालू घाट-14, ग्राम-पीर बीधा गन्नु बीधा, अंचल-गया टाउन सी.डी. ब्लॉक जिला-गया में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0-S.O. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में मेसर्स मारुती ट्रेडिंग कंपनी, प्रस्तावक: श्री विनोद कुमार, पता: वार्ड नं0-06, गढ़ के पीछे, रावत्सर, जिला-हनुमानगढ़ (राजस्थान) द्वारा गया फल्गू नदी बालू घाट-14, ग्राम-पीर बीधा गन्नु बीधा, अंचल-गया टाउन सी.डी. ब्लॉक जिला-गया से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक: 20.07.2023 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कारवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

पटना, दिनांक :-

ज्ञापांक :-

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

लोक सुनवाई का वृत्त ।

मेसर्स मारुती ट्रेडिंग कंपनी, प्रस्तावक: श्री विनोद कुमार, पता: वार्ड नं०-06, गढ़ के पीछे, रावत्सर, जिला-हनुमानगढ़ (राजस्थान) द्वारा गया फल्गू नदी बालू घाट-14, ग्राम-पीर बीधा गन्नु बीधा, अंचल-गया टाउन सी.डी. ब्लॉक जिला-गया अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 20.07.2023 को अपराह्न 12:30 बजे अंचल कार्यालय, गया, जिला-गया के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2381/2023, dated 11.05.2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा दिनांक 20.07.2023 को अपराह्न 12:30 बजे अंचल कार्यालय, गया, जिला-गया में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द टाइम्स ऑफ इंडिया एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 18.06.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा गया द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया फल्गू नदी बालू घाट-14, ग्राम-पीर बीधा गन्नु बीधा, अंचल-गया टाउन सी.डी. ब्लॉक जिला-गया के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही जल निकासी पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा।

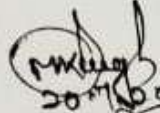
खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री विनोद कुमार, पिता: श्री वीरेन्द्र सिंह, पता: शादीपुर, जिला: गया।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू घाट को बन्द नहीं किया जाय तथा बालू उठाव के दौरान एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये रोजगार दिया जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
2.	श्री संजय कुमार, पिता: वासुदेव यादव, पता: शादीपुर, मानपुर, जिला: गया।	इनके द्वारा भी सुझाव दिया गया कि बालू घाट को चालू किया जाय तथा बालू उठाव के दौरान एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये रोजगार दिया जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
3.	श्री नागेन्द्र सिंह, पिता: देवनन्दन सिंह, पता: रसदपुर, जिला: गया।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू घाट पर जो भी बालू का उठाव होगा वह सरकार के गाईड-लाईन के अनुसार उठाव होना चाहिए। उपरोक्त बातों को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
4.	श्री धमेन्द्र सिंह, पिता: स्व० बलदेव सिंह, पता: शादीपुर, जिला: गया।	इनके द्वारा वायु प्रदूषण की रोक-थाम एवं रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा साथ ही बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री धमेन्द्र सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

5.	श्री अमित कुमार, पिता: रामजी शर्मा, पता: बिदबिगहा, जिला: गया।	इनके द्वारा भी वायु प्रदूषण की रोक-थाम एवं सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि: वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोक-थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगा:-बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा। सुरक्षा हेतु निम्न कार्य किया जायेगा:-सुबह की अवधि में कार्यालय जाने के समय एवं बच्चों को स्कूल जाने के समय बालू लदे वाहनों का संचालन नहीं किया जायेगा। बालू परिवहन के दौरान किसी प्रकार की असाधारण दुर्घटना होने पर सरकार के द्वारा मुआवजा देने का प्रावधान है, जिस क्रम में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत दिनांक: 15.08.2021 के नये अधिसूचना के आलोक में परिवहन विभाग के द्वारा मुआवजा दिया जायेगा। इसप्रकार श्री अमित कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
----	--	---

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद,
गया


अपर समाहर्ता,
गया

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मेसर्स मारुती ट्रेडिंग कंपनी, प्रस्तावक: श्री विनोद कुमार, पता: वार्ड नं०-06, गढ़ के पीछे, रावत्सर, जिला-हनुमानगढ़ (राजस्थान) (गया फल्गू नदी बालू घाट-14, ग्राम-पीर बीधा गन्नु बीधा, अंचल-गया टाउन सी.डी. ब्लॉक जिला-गया) को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह०/-

(एस० चन्द्रशेखर)

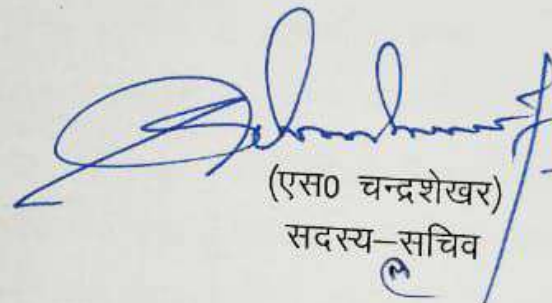
सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :- 1455

पटना, दिनांक :- 31/7/23

प्रतिलिपि:- श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्वद, पटना को निदेश है कि दिनांक: 20.07.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी० डी० की प्रति पर्वद के वेबसाइट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांक: 20.07.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी० डी० की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।


(एस० चन्द्रशेखर)
सदस्य-सचिव

31/7/23